अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएँ एवं धार्मिक रितियाँ

मनीश कुमार*

अनुसूचित जाति के लोगों में भी बच्चा पैदा होने पर सवर्ण जातियों की भांति ही यह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। बच्चे के पैदा होने पर 9 दिनों तक लोग अशौच मनाते हैं। वैसे अब ये बहुत ही कम अशौच का ध्यान रखते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके घरों में अशौच का पालन किया जाता है। जिन लोगों में यहां अशौच का पालन किया जाता है यदि उनके यहां मेहमान आदि आने पर भोजन की व्यवस्था अन्यत्र करनी पड़ती है। भोजन के अलावा भी अन्य कोई भी धार्मिक संस्कार 9 दिनों के अन्दर नहीं किया जायेगा।

प्रसूतिका के घर में लड़का या लड़की होते ही उस पर पानी का 'कुला' डालते हैं। यह 'कुला' परिवार का कोई अच्छा व्यक्ति ही डालता है जो औरत ही होती है। इन लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति बच्चों पर 'कुला' डालता है वैसा ही स्वभाव बच्चे का भी हो जाता है। 'कुला' डालते हैं इसलिए कि बच्चे छींकने न पाये। सद्यः जात शिशु का छींकना बुरा माना जाता है। इसके बाद चमाईन बुलाई जाती है। चमाईन के आने पर पहले उसके पैर पर पानी डाला जाता है। चमाइन बच्चे के नाल को कच्चे सूत से बांध देती है फिर इसे छुरी या हंसिया से काटती है। कई घरों में इसके लिए विशेष छुरी या हंसिया होता है जिसे जन्म के समय ही प्रयोग में लाया जाता है।

प्रसूतिका गृह को 'सउरि' कहते हैं। इसके दरवाजे पर आग, सेहुड़, लोहार, मूसल रखा जाता है। इन लोगों का विश्वास है कि इनसे प्रेतात्माएं घर में प्रवेश नहीं कर सकतीं। बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकती। जच्चा को अच्छी–अच्छी चीजें खाने के लिए दिया जाता है जिसे 'ओछवानी' कहते हैं। इसके बनाने का ढंग इस प्रकार से हैं। घी में गोला (सूखा नारियल) पीस्ता, बदाम, किसमीस, छुहारे, सौंफ, जीरा, गोलमिर्च, अजवाइन, अदरख आदि पका कर खिलाया जाता है।

जच्चा को प्रथम बार स्नान कराने के लिए ब्राह्मण से पूछा जाता है उसी के अनुसार ही जच्चा को स्नान कराया जाता है। लेकिन नट जाति के लोगों में ऐसा विधान नहीं है। वे छठवें दिन के बाद किसी दिन को भी स्नान करा देते हैं और बच्चे के कान के समीप उनका पुरोहित अजान पढ़ता है। जच्चे को प्रायः रविवार या मंगलवार को ही स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद वह अपने पैसे से एक मिट्टी का बर्तन जो दीपक के बर्तन से बड़ा होता है, उसे 'परई' कहते हैं। उसके नीचे आग एवं अजवाइन एवं सरसों रहती है, उसको फोड़ती है। इन लोगों का विश्वास है कि इससे किसी की नजर नहीं लगती।

छः दिन बाद छठी मनाई जाती है। छः दिनों के बाद इनका आधा अशौच दूर हो जाता है। छठी के दिन बहुत ही सतर्कता रखी जाती है। इन लोगों का कहना है कि अधिकांशतः प्रतोत्माएं छठी के दिन ही इस घर में प्रवेश करती हैं और बच्चे को जान से मार डालती है। इस दिन ही इस घर में प्रवेश करती हैं और बच्चे को जान से मार डालती है। इस दिन ही इस घर में प्रवेश करती है और बच्चे को जान से मार डालती है। इस दिन जच्चा को सायंकाल ही खाना दे दिया जाता है और किवाड़ को बन्द कर दिया जाता है।

बारहवें दिन बरही मनायी जाती है बरही नट जाति में नहीं मनायी जाती है। इस दिन विशेष उल्लास एवं उत्साह रहता है। जन्म के समय इन लोगों में गाये जाने वाले गीत सबसे पहले शीतला माता एवं पितरों के गीत होते हैं।

एकीका :– यह नट जाति में होता है। जिस तरह हिन्दू जातियों में अन्य संस्कार होते हैं उसी तरह यह मुसलमानों में भी होता है। एकीका का दिन निश्चित रहता है। जिस दिन बालक का जन्म होता है उस दिन से सातवें दिन होता है। या महीना या वर्ष जो जैसे चाहे वैसे करता है। जब बालक 6 दिन का हो जाता है तब उसका बाल मुड़वा दिया जाता है और उसके बराबर चांदी दान में तौल कर दी जाती है। इस समय लोग पैसा ही दे देते हैं और सातवें दिन दो बकरा मारा जाता है। बकरा मारना बहुत ही आवश्यक है। यदि आदमी गरीब है तो उसके लिए एक बकरा भी काफी समझा जाता है। उस बकरे के मांस को बनाया जाता है और लोगों में बांट भी दिया जाता है। एकीका अधिकांशतः लोग विवाह के दिन ही सम्पन्न करते हैं क्योंकि फिर से मांस की तैयारी न करनी पड़े और पैसा भी कम खर्च होता है। इसमें कोइ भी संस्कार नहीं किया जाता है न मौलवी और न नाई कोई भी काम नहीं करता है। यह एकीका इनके पूर्वजों के नाम पर ही मनाये जाते हैं।

मुसलमानों या खतना :– खतना के सम्बन्ध में इन लोगों का कहना है कि मुहम्मद रसू0 की पैदाइश ही इसी तरह हुई थी इसलिए ये लोग भी खतना करवाते हैं। खतना ये लोग रमजान के महीने में ही करते हैं। बालक को स्नान कराकर नया वस्त्र पहनाया जाता है और खूब सजाया जाता है। इसके बाद एक चौकोर चादर के नीचे एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर खड़ा रहता है और चार व्यक्ति प्रत्येक कोने पर हाथ में तलवार या चाकू लेकर चलता है। सभी लोग मस्जिद जाते हैं। वहां से आने पर बच्चे को कोई व्यक्ति गोद में लेकर आगन में बैठ जाता है। खतना करने वाला नाई होता है। वैसे शहरों में अब डॉक्टरों के द्वारा भी कराया जा रहा है जिससे कि कोई बीमारी न हो सके। नाई तेज चाकू से बच्चे के मूत्राशय का अग्रभाग का चमड़ा काट देता है और यह खतना यहीं पर समाप्त हो जाता है।

***शोध छात्र (समाजशास्त्र) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

नाई को इसके बदले में पैसा एवं कपड़ा भी दिया जाता है जो आगंतुक आ रहते हैं उनको मिठाई आदि वितरित की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

1. इस बात का अध्ययन करना की क्या अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएँ विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानती हैं।
2. अनु0जाति की शिक्षित महिलाओं का दहेज के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. अनु0 जाति की शिक्षित महिलाओं का विधवा विवाह के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
4. अनु.जाति– अर्न्तजातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

उपकल्पनाएँ :–

1. अनु.जाति की शिक्षित महिलाएँ विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानती हैं।
2. अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएँ बाल विवाह के प्रति प्रतिकूल भावना रखती है।
3. अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएं अर्न्तजातीय विवाह को उचित समझती हैं।

अध्ययन का क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए पटना शहर के राजेन्द्र नगर मुहल्ला का चयन किया गया। पटना को भिन्न–भिन्न नामों से विभूषित किया गया है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसे पुष्प नगर भी कहा जाता था।

पटना नगर में चार विश्वविद्यालय एवं अनेक महाविद्यालय हैं। उच्च विद्यालयों की संख्या भी पर्याप्त है। शैक्षिक दृष्टिकोण से पटना नगर समृद्ध है।

प्रविधि :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया।

निदर्शन :– अध्ययन क्षेत्र राजेन्द्र नगर के दलित मुहल्लों से 200 शिक्षित महिलाओं का चयन किया गया।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण :– अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया।

परिणाम :–राजेन्द्र नगर मुहल्ले के चयनित अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए।

अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं पर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, जनसंचार साधनों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप उनकी स्थिति, मनोवृति एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। दलित समाज में अन्य समुदाय की तरह अनेक रीतियाँ पाई जाती है।

प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि अनु.जाति की शिक्षित महिलाएं जन संस्कार मनाती हैं। अन्य समुदाय की तरह इस समुदाय में भी धार्मिक संस्कार

मनाये जाते हैं। लेकिन 16 संस्कारों में से कुछ ही संस्कार मनाया जाता है। जिनमें विवाह संस्कार एवं अन्त्येष्टि संस्कार शामिल है। अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलायें विवाह को एक धार्मिक संस्कार मनाती हैं तथा बहुत कम शिक्षित महिलाएं ही विवाह को एक सामाजिक समझौता स्वीकार करती हैं। शिक्षित महिलाएं विवाह को एक जन्म–जन्मांतर का संबंध स्वीकार नहीं करती। दलित शिक्षित महिलाएं दहेज के विरूद्ध दृष्टिकोण रखती हैं तथा इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं कि दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए।

दलित शिक्षित महिलाओं पर संचार साधन एवं आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। अधिकांश दलित शिक्षित महिलाएं विधवा विवाह को उचित मानती हैं। अध्ययन में सम्मिलित दलित शिक्षित महिलाएं विवाह संस्कार को सम्पन्न करने की अनेक विधियों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट की है। उत्तरदात्रियों का कहना है कि उनके समुदाय में विवाह के पूर्व मंगनी या तिलक संस्कार सम्पन्न होता है। उत्तरदात्रियों ने कहा कि विवाह में शगुण का अब वो महत्व नहीं रहा जैसा पहले पाया जाता था। अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएं विवाह में हल्दी की जो विधि की जाती है उससे सहमत हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विवाह संस्कार में अनेक विधियों की चर्चा की है। अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएं मृत्यु संस्कार के प्रति अपने दृष्टिकोण की चर्चा की है। अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाएं मृत्यु संस्कार के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके यहाँ यह संस्कार मनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक को स्नान कराया जाता है एवं उसके शरीर पर सुगंधित वस्तुओं का लेप किया जाता है। 12 दिन बाद श्राद्ध मनाया जाता है। उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट किया कि चाहे विवाह संस्कार हो या मृत्यु संस्कार इससे संबंधित क्रियाओं का संक्षेपीकरण हो रहा है।

संदर्भ सूची :–

1. Singh, M. : The Depressed Classes.
2. Rivers, W.H.R. : Social Organisation.
3. Runsiman, W.G. : The Sociological Explanation of Religious beliefs (Sociological Abst. 1972, vol.2, No.1, 4 Jan.)
4. Russel, R.V. : Hiralal: The tribes and caste of the Central Provinces of India
5. Risley, H.H. : The people of India.
6. Redfield, R. : The Little Community.
7. Report of the Commission Scheduled Caste and Scheduled Tribes, 1954-72
8. Patwardhan, S.: Changing religious behaviour and traditions of Scheduled Castes, Deccan College Research Institute Bulletin, 1967-68
9. Pinder, R. : Religious Charge in the process of secularization, Sociological Review, 1971.
10. Pepper, G. : Religion Evaluation (Sociological Analysis, 1970, 31).